मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1575 भोपाल, दिनांक 9 /10/2025

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)

भारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
______ जिला - ______ (समस्त)

विषय - सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना - दैनंदिनी कार्यवाही के संबंध में निर्देश।

सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मंडी समितियों के स्तर से निम्न दैनंदिनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाना अपेक्षित है -

1. प्रांगण में साफ सफाई व्यवस्था, पानी, बिजली, कैंटीन आदि अनिवार्य कृषक सुविधाओं की उपलब्धता।
2. मंडी गेट, नोटिस बोर्ड एवं डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर मॉडल रेट का दैनिक प्रदर्शन।
3. विक्रय संव्यवहारों की वास्तविक समय (real time) में प्रविष्टि।
4. ट्रैफिक एवं पार्किंग प्रबंधन से संबंधित कार्यवाही।
5. CCTV मॉनिटरिंग की निर्बाध व्यवस्था। रिकॉर्डिंग संधारण एवं पावर बैकअप की समुचित व्यवस्था।
6. योजना अंतर्गत कृषकों को किए गए भुगतान का सत्यापन करने के लिए व्यापारियों के बैंक स्टेटमेंट का नियमित मिलान।
7. तौल कांटों के random निरीक्षण के संबंध में मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 की कंडिका 24 अनुसार आवश्यक कार्यवाही।
8. कंट्रोल रूम का संचालन।
9. हेल्प डेस्क का संचालन।

10. प्राप्त शिकायतों का दैनिक निराकरण।

11. व्यापारी स्टॉक निरीक्षण कार्यवाही।

12. प्रसंस्करणकर्ताओं के भाव की दैनिक समीक्षा, मंडी भाव से तुलना एवं मंडी भावों में वृद्धि हेतु उपचारात्मक कार्यवाही।

13. व्यापारियों के आगामी सौदों (द्वितीयक संव्यवहार) में भावों की जानकारी का संकलन एवं विश्लेषण।

14. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही।

अतः उपरोक्त सभी कार्यवाहियां दैनिक आधार पर अनिवार्य रूप से संपादित / समीक्षा की जाएं।

आंचलिक अधिकारी अपने अधीनस्थ मंडियों में उपरोक्तानुसार कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा करेंगे।

(कुमार पुरुषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1576

भोपाल, दिनांक 9 **/10/2025**

प्रतिलिपि :- **कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. कलेक्टर, जिला - _____ (समस्त)।
5. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल